

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, भा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 01.12.23

विषय-

केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" का चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा दो चरणों में अनुमोदित परियोजनाओं की (लाभुकांश एवं केन्द्रांश/राज्यांश के रूप में प्रदान की जाने वाली अनुदान की राशि सहित) कुल मो० 95.5486 करोड़ (पंचानवे करोड़ चौवन लाख छियासी हजार) रू० मात्र की परियोजना लागत पर योजना क्रियान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" का चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से दो चरणों में प्रशासनिक अनुमोदन निर्गत है। अनुमोदित परियोजनाओं की कुल मो० 95.5486 करोड़ (पंचानवे करोड़ चौवन लाख छियासी हजार) रू० मात्र की परियोजना लागत जिसमें लाभुकांश एवं अनुदान की राशि (केन्द्रांश/राज्यांश) निहित हैं, की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए "राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (SLAMC)" के अनुमोदन उपरांत पत्रांक-981 दिनांक-01.06.2023 द्वारा भारत सरकार को योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे गए।

(ख) भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो चरणों में Beneficiary Oriented Schemes तथा Non Beneficiary Oriented Schemes के तहत निम्न प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं-

(राशि करोड़ रू० में)

क्रम	प्रशासनिक अनुमोदन संख्या एवं तिथि	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभुकांश
Beneficiary Oriented Schemes					
1	j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) Dated 26-07-2023	76.376	26.29636	17.53084	32.5488
2	j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) Dated 20-09-2023	15.00	5.364	3.576	6.06
Non Beneficiary Oriented Schemes					
3	j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) Dated 20-09-2023	4.1726	2.5036	1.669	0.00
कुल		95.5486	34.16396	22.77584	38.6088

3. उपर्युक्त दोनों प्रशासनिक अनुमोदन से स्वीकृत कुल परियोजनाओं का एकीकृत स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु इस योजना का पूर्व निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 24 रा० (वि०) दिनांक 03.10.2023 को विलोपित किया जाता है।

4. इस स्वीकृत्यादेश में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से किस्तवार विमुक्त केन्द्रांश की राशि, केन्द्रांश मद में बजट तथा समानुपातिक राज्यांश का बजट उपबंध प्राप्त होने के उपरान्त ही राशि व्यय की जाएगी।

5. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपर्युक्त कंडिका-2 में अंकित विवरणी के क्रम में भारत सरकार के पत्रांक F.No. J-01011/1/2020-Fy दिनांक 29.09.2023 द्वारा Beneficiary Oriented Schemes में कोटिवार विमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किस्त की राशि निम्न है -

(क) (सामान्य एवं महिला कोटि)

(Rs. in lakh)

Sl. No.	Financial Year	Name of the Project	GENERAL + WOMEN Category			
			Admn. Approval	Earlier Release by Gol	Current Release by Gol	Central share yet to be released by Gol
1	2023-24	Fisheries Developmental proposal of Gol approved vide order of even no. dated 26 th July, 2023 and 20 th September, 2023	1995.91	0.00	138.33	1857.58

(ख) (अनुसूचित जनजाति कोटि)

Sl. No.	Financial Year	Name of the Project	ST Category			
			Admn. Approval	Earlier Release by Gol	Current Release by Gol	Central share yet to be released by Gol
1	2023-24	Fisheries Developmental proposal of Gol approved vide order of even no. dated 26 th July, 2023 and 20 th September, 2023	705.96	0.00	176.49	529.47

(ग) (अनुसूचित जाति कोटि)

Sl. No.	Financial Year	Name of the Project	SC Category			
			Admn. Approval	Earlier Release by Gol	Current Release by Gol	Central share yet to be released by Gol
1	2023-24	Fisheries Developmental proposal of gol approved vide order of even no. dated 26 th July, 2023 and 20 th September, 2023	464.17	0.00	539.28	-75.11
Grand Total :					854.10	

6. भारत सरकार से सामान्य, महिला कोटि तथा अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए यथा उपर्युक्त विमुक्त केन्द्रांश मो० 3.1482 करोड़ (तीन करोड़ चौदह लाख बेरासी हजार रुपये) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मो० 2.09882 करोड़ (दो करोड़ नौ लाख अठासी हजार दो सौ रुपये) मात्र हेतु समुचित बजट उपबंध प्राप्त है। अतः उक्त कोटि में कुल मो० 5.24702 करोड़ (पाँच करोड़ चौबीस लाख सत्तर हजार दो सौ) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. अनुसूचित जाति कोटि अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश को ध्यान में रखकर इस कोटि के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक अनुमोदन, केन्द्रांश तथा राज्यांश में अतिरिक्त बजट उपबंध प्राप्त कर व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

Signature

Signature

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

किया जाएगा।

11. प्रासंगिक योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा संस्थित सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन द्वारा समय-समय पर संस्थित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. इस योजना के तहत स्वीकृत/आवृत्त राशि का व्यय Public Financial Management System (PFMS) की नई प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जाएगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के राशि की निकाली ज़रूरत का कारण से की जायेगी।
9. इस योजना के निकाली एवं व्यय पदाधिकारी निदेशक मस्य, डायरेक्टर, रूबी हॉल तथा माँ 5.24702 कर्ष (पूँच कर्ष वीबीएस लाख सतर हजार दो सौ) रुपये मात्र।

क्र०	विवरण	पुनर्विनियोग द्वारा उपबंध	स्वीकृत राशि 25.07.2023 द्वारा	वर्तमान में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन					
1	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (क-द-रा) 53C24050010177010649	2010.00	0.00	120.330	1889.670
कुल क-द-रा					
		2010.00	0.00	120.330	1889.670
2	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्य) 53S24050010177010649	1331.712340	0.000	80.2210	1251.49134
3	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्य) 53S24050010177010759	38.287660	38.287660	0.0000	0.000
कुल राज्य-राशि					
		1370.00000	38.287660	80.2210	1251.49134
लघु शीर्ष-789-अनुसंधान जातियाँ के लिए विशेष घटक योजना					
4	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (क-द-रा) 53C24050078977010649	450.00	0.00	0.00	450.00
कुल क-द-रा					
		450.00	0.000	0.0000	299.6337
5	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्य) 53S24050078977010649	299.6337	0.0000	0.0000	299.6337
6	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्य) 53S24050078977010759	7.3663	7.3663	0.0000	0.0000
कुल राज्य-राशि					
		307.0000	7.3663	0.0000	299.6337
माँ 5.24702 कर्ष (पूँच कर्ष वीबीएस लाख सतर हजार दो सौ) रुपये मात्र।					
7	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (क-द-रा) 53C24050079677010649	1350.00	0.00	194.490	1155.510
कुल क-द-रा					
		1350.00	0.00	194.490	1155.510
8	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्य) 53S24050079677010649	895.95396	0.000	129.66100	766.29296
9	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्य) 53S24050079677010759	17.04604	17.04604	0.00	0.00
कुल राज्य-राशि					
		913.00	17.04604	129.6610	766.29296
कुल योजना (2405) :					
		6400.00000	62.70	524.70200	5812.59800
		2590.00	62.70	209.8820	2317.418
		3810.00	0.00	314.820	3495.180

8. उपर्युक्त कलिका-6 में अंकित व्यय हेतु राशि निम्न लघु शीर्षों में प्राप्त बजट उपबंध से व्यय की जायेगी :

माँ संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मस्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मस्य समृद्धि योजना

(लाख रु० में)

12. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा दो चरणों में निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी पत्रों में कंडिका 3 (d) एवं 3 (e) के अनुसार -

(1) भारत सरकार के द्वारा केन्द्रांश की राशि चार बराबर किस्तों में विमुक्त की जायेगी।

(2) वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमोदित परियोजनाओं के विरुद्ध आवश्यक राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) से किया जा सकेगा।

13. (i) इस केन्द्र प्रायोजित योजना में निजी क्षेत्र के लाभुकों की योजनाओं में कोटिवार लाभुकों का अंशदान निम्न प्रकार है-

लाभुकों की कोटि	लाभुक का अंशदान	लाभुकों के अंशदान के उपरांत अनुदान की राशि में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात	
		केन्द्रांश	राज्यांश
सामान्य	60 %	60 %	40%
अनुसूचित जनजाति	40 %	60 %	40%
अनुसूचित जाति	40 %	60 %	40%
महिला	40 %	60 %	40%

(ii) Non Beneficiary Oriented Schemes में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 60 : 40 है।

14. इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत इस योजना की मार्गदर्शिका, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दो चरणों में निर्गत प्रशासनिक अनुमोदनों तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत राज्यादेश सं0-49 रा0 (वि0) दिनांक 31.03.2021 की कंडिका-10.1 से 10.3, 10.5 एवं 10.6 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

15. जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का अंशदान समानुपातिक रूप से व्यय हो। योजना के कार्यान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुदानों के अतिरिक्त शेष राशि लाभुक द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।

16. केज अधिष्ठापन एवं अनुदान की राशि का व्यय भारत सरकार के पत्रांक 117012-3/2020-Fy दिनांक 12.12.2022 द्वारा निर्गत Revised Operational Guidelines में निरूपित प्रावधान जो मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2075 दिनांक 30.12.2022 एवं पत्रांक 924 दिनांक 24.05.2023 द्वारा संसूचित हैं, के अनुरूप किया जाएगा।

17. भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत Non Beneficiary Oriented Schemes के तहत गिधनी, देवघर में फिश ब्रुड बैंक के अधिष्ठापन की परियोजना हेतु कुल मो0 417.26 लाख रु0 मात्र के परियोजना लागत की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें केन्द्रांश मो0 250.36 लाख रु0 एवं राज्यांश मो0 166.90 लाख रु0 मात्र हैं। उक्त परियोजना के लिए मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची से मो0 416.38 लाख रु0 मात्र के योजना प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति दिनांक 27.01.2022 को प्राप्त है तथा इसका डी0पी0आर0 मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1483 दिनांक-21.09.2022 द्वारा एन0एफ0डी0बी0, हैदराबाद को प्रेषित है।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से करते हुए फिश ब्रुड बैंक, गिधनी के लिए स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय Public Financial Management System (PFMS) की नयी प्रक्रिया को अपनाते हुए PMMSY हेतु नामित SNA के खाते से निर्धारित IA (जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.

देवघर) के खाते में दी जायेगी। IA द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, देवघर को PFMS Portal पर अपने अधीन Vendor के रूप में Register किया जायेगा। Vendor से प्राप्त भौतिक प्रगति एवं माँग प्रतिवेदन के अनुरूप IA द्वारा Vendor को अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का पूर्ण विवरण यथा नाम, आधार संख्या, मोबाईल नं0, बैंक खाता एवं राशि हस्तांतरण की विस्तृत जानकारी लाभुकों के अभिलेख में अंकित हों ताकि निदेशालय/भारत सरकार को पूर्ण विवरण प्रेषित किया जा सके।

निर्माण कार्य हेतु तकनीकी रूप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरूप तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत के अधीन गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने के उपरांत ही कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को अंतिम भुगतान किया जाएगा।

19. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा योजना का भौतिक प्रगति एवं स्थल verification प्रतिवेदन साक्ष्य सहित मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।

20. व्यय हेतु वर्तमान में स्वीकृत राशि मात्र Beneficiary Oriented Schemes के लिए है। जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1, 2 तथा 3 के रूप में संलग्न है। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान व्यय किया जाए। कार्य की प्रगति के अनुसार तीन किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी तथा अंतिम किस्त कार्य पूर्ण होने के बाद विमुक्त की जाएगी। व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची एवं मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। इसे भारत सरकार को नियमित भेजा जायेगा।

21. इस प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भारत सरकार से केन्द्रांश की विमुक्ति होने के उपरांत, केन्द्रांश तथा समानुपातिक राज्यांश का बजट उपबंध प्राप्त कर राशि व्यय की स्वीकृति हेतु स्वीकृत्यादेश तथा आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। आवंटनादेश में भारत सरकार से राशि की विमुक्ति संबंधी पत्र का उल्लेख किया जायेगा।

22. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

24. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 29.12.23 (वि0) / राँची, दिनांक 01.12.23

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

37/12/23
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 29 ११०(कि)/राँची, दिनांक ०१-१२-२३

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 29 ११०(कि)/राँची, दिनांक ०१-१२-२३

प्रतिलिपि : योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, राँची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category/ (Beneficiary nos.)					Total	General		ST		SC		Women		Total	
					General	ST	SC	Women	Total		Central	State	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	General	State	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State	
4	Development of Ornamental and recreational Fisheries			Gumla	0	6	0	3	9	0.00	0.00	6.48	4.32	0.00	0.00	3.24	2.16	9.72	6.48	
4.1	Backyard Ornamental fish Rearing unit (Freshwater)	3.00	Nos.	Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.72	1.08	0.72	
				Khunti	0	3	0	0	3	0.00	0.00	3.24	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	2.16	
				Total	0	9	0	4	13	0.00	0.00	9.72	6.48	0.00	0.00	4.32	2.88	14.04	9.36	
4.3	Integrated Ornamental Fish Unit (Breeding and Rearing for Freshwater fish)	25.00	Nos.	Bokaro	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00	
				Total	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00	
5	Technology Infusion and Adaptation																			
5.1.1	Establishment of Large RAS (8 tanks of minimum 90 m3/tank capacity/40 ton /crop)	50.00	Nos.	Jamtara	1	0	0	0	1	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
				Deoghar	0	0	0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	15.00	10.00	
				Ranchi	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	5.00	7.50	5.00	
				Total	1	0	0	3	4	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	15.00	28.50	19.00	
5.1.2	Establishment of Biofloc (50 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	50.00	Nos.	Palamu	1	1	0	1	3	12.00	8.00	18.00	12.00	0.00	0.00	18.00	12.00	48.00	32.00	
				Bokaro	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	12.00	18.00	12.00	
				Deoghar	0	0	0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	24.00	36.00	24.00	
				Sahebganj	0	0	0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	24.00	36.00	24.00	
				Total	1	1	0	6	8	12.00	8.00	18.00	12.00	0.00	0.00	108.00	72.00	138.00	92.00	
5.2.1	Establishment of Medium RAS (With 6 tanks of minimum 30m3/tank capacity 10 ton /crop)	25.00	Nos.	Gumla	0	4	0	2	6	0.00	0.00	36.00	24.00	0.00	0.00	18.00	12.00	54.00	36.00	
				Simdega	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00	
				Palamu	1	0	0	1	5	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	12.00	42.00	28.00	
				Giridih	1	0	0	0	1	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00	
				Deoghar	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00	
				Dhanbad	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00	
				Total	2	4	3	6	15	12.00	8.00	36.00	24.00	0.00	0.00	54.00	36.00	129.00	86.00	
5.2.2	Establishment of Biofloc Culture System (25 tank of 4m dia and 1m High)	25.00	Nos.	Dumka	0	2	0	4	6	0.00	0.00	18.00	12.00	0.00	0.00	36.00	24.00	54.00	36.00	
				Sahebganj	0	1	0	3	4	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	0.00	27.00	18.00	36.00	24.00	
				Gumla	0	1	0	1	2	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	0.00	9.00	6.00	18.00	12.00	
				Chatra	0	0	0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	12.00	18.00	12.00	
				Khunti	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00	
				Jamshedpur	0	1	0	1	2	0.00	0.00	9.00	6.00	0.00	0.00	9.00	6.00	18.00	12.00	
				Palamu	1	1	1	1	4	6.00	4.00	9.00	6.00	9.00	6.00	33.00	22.00	33.00	22.00	
				Pakur	0	1	0	1	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00	
				Deoghar	1	0	3	1	5	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	42.00	28.00	
				Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00	
				Godda	0	0	0	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	30.00	45.00	30.00	
				Total	2	7	4	21	34	12.00	8.00	63.00	42.00	0.00	0.00	189.00	126.00	300.00	200.00	
5.3.1	Establishment of small RAS (with 1 tank of 100m3 capacity)	7.50	Nos.	Dumka	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.80	2.70	1.80	
				Gumla	0	8	0	4	12	0.00	0.00	21.60	14.40	0.00	0.00	10.80	7.20	32.40	21.60	
				Simdega	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.80	2.70	1.80	
				Chatra	0	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	5.40	8.10	5.40	
				Palamu	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.80	2.70	1.80	
				Deoghar	0	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	5.40	8.10	5.40	
				Koderma	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.80	2.70	1.80	
				Chaibasa	0	1	0	0	1	0.00	0.00	2.70	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.80	
				Total	0	9	0	14	23	0.00	0.00	24.30	16.20	0.00	0.00	37.80	25.20	62.10	41.40	

51111

102

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)				Amount Sanctioned				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					General	SC	Women	Total	General	SC	Women	Total	
5.3.2	Establishment of small Biofloc (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) culture system	7.50	Nos.	Dumka	0	2	0	2	17	17	0	17	30.60
				Sahebganj	0	0	0	0	1	1	0	2	1.80
				Gumla	0	0	3	3	6	6	0	12	10.80
				Chatra	1	0	1	2	7	7	0	14	12.00
				Dhanbad	1	0	1	2	5	5	0	10	8.40
				Jamtara	0	0	0	0	3	3	0	6	5.40
				Ranchi	0	1	0	1	3	3	0	6	5.40
				Chaibasa	0	0	3	3	1	4	0	5	5.40
				Jamtara	0	0	0	0	1	1	0	2	1.80
				Pakur	5	9	0	14	20	20	0	40	33.00
				Palamu	0	0	0	0	3	3	0	6	5.40
				Garhwa	1	1	3	5	8	8	0	16	13.80
				Ramgarh	0	0	0	0	3	3	0	6	5.40
				Giridih	0	0	0	0	2	2	0	4	3.60
				Bokaro	0	0	0	0	2	2	0	4	3.60
				Deoghar	0	0	0	0	3	3	0	6	5.40
				Lohardaga	1	0	0	1	4	4	0	8	7.20
				Godda	1	0	0	1	6	6	0	12	10.20
				Total	10	19	5	34	98	18.00	12.00	51.30	170.40
5.4	Establishment of Backyard mini RAS units	0.50	Nos.	Sahebganj	0	0	0	0	1	1	0	2	0.12
				Chaibasa	0	1	0	1	1	1	0	2	0.12
				Jamtara	1	0	0	1	1	0.12	0.08	0.20	0.08
				Total	1	1	0	2	3	0.12	0.08	0.20	0.32
6.1	Construction of Cold Storages/Ice Plants			Dumka	0	0	2	2	2	2	0	4	19.20
				Pakur	0	1	0	1	14.40	9.60	0.00	24.00	19.20
				Palamu	0	0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
				Bokaro	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
				Deoghar	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
				Koderma	0	1	1	2	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
				Godda	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
				Total	0	1	1	2	14.40	9.60	0.00	24.00	96.00
6.1.1	Construction of Ice Plants/Cold Storages (min 10 ton capacity production)	40.00	Nos.	Dumka	0	0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
				Pakur	0	0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
				Bokaro	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
				Deoghar	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
				Koderma	0	1	1	2	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
				Total	0	1	1	2	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
6.1.2	Construction of Ice Plants/Cold Storages (min 20 ton capacity production)	80.00	Nos.	Dumka	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
				Pakur	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
				Total	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
6.3	Refrigerated vehicles	25.00	Nos.	Dumka	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
				Pakur	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
				Giridih	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
				Bokaro	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
				Jamtara	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
				Total	0	0	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				State	0	0	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				Central	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Women	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total	0	0	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

26

34/11/23

दिनांक 24-25 अक्टूबर 2023 तक प्राप्त हुए व्यय विवरण का विवरण (आय और व्यय) के अनुसार निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है।

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)	ST	General	SC	Women	Total	ST	General	SC	Women	Total	Unit Cost	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)	ST	General	SC	Women	Total	Unit Cost	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)	ST	General	SC	Women	Total																	
1		2	4			5	10	8	9	28	10	28	8	9	46	3		3	18	5	5	2	2	5	5	2	2	2	4.86	State	3	18	5	5	2	2	5	5	2	2	4.86	State	3	18	5	5	2	2	5	5	2	2	4.86	State
2		3	7			6	18	18	7	48	6	18	18	7	49	3		3	18	18	18	3	3	3	3	3	3	2.58	Central	3	18	18	18	3	3	3	3	3	3	2.58	Central	3	18	18	18	3	3	3	3	3	3	2.58	Central	
3		3	7			6	18	18	7	48	6	18	18	7	49	3		3	18	18	18	3	3	3	3	3	3	2.58	Central	3	18	18	18	3	3	3	3	3	3	2.58	Central	3	18	18	18	3	3	3	3	3	3	2.58	Central	
4		3	7			6	18	18	7	48	6	18	18	7	49	3		3	18	18	18	3	3	3	3	3	3	2.58	Central	3	18	18	18	3	3	3	3	3	3	2.58	Central	3	18	18	18	3	3	3	3	3	3	2.58	Central	
5	Motor cycle with Ice box	0.75	6			6	18	18	7	48	6	18	18	7	49	3		3	18	18	18	3	3	3	3	3	3	2.10	Central	3	18	18	18	3	3	3	3	3	3	2.10	Central	3	18	18	18	3	3	3	3	3	3	2.10	Central	
6	Cycle with ice boxes	0.10	22			22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0.064		0.064	22	22	22	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.064	0.904	Central	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0.904	Central	22	22	22	22	22	22	22	22	22	0.904	Central	
7	Three wheeler with ice box including e-rickshaws for fish vending	3.00	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7.44		7.44	4	4	4	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	2.16	Central	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2.16	Central	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2.16	Central		

102

3000
07/10/23

Amount Sanctioned	Women	SC	ST	General	Total
130.80	196.20	29.52	44.28	36.72	55.08
5.76	8.64	1.44	2.16	3.60	48.24
2.16	3.24	0.72	1.08	1.80	72.36
4.56	6.84	1.44	2.16	3.60	84.48
2.16	3.24	0.72	1.08	1.80	193
2.64	3.96	0.72	1.08	1.44	41
27.12	40.68	2.88	4.32	7.92	51
4.32	6.48	0.72	1.08	1.80	67
1.44	2.16	0.72	1.08	1.80	34
1.44	2.16	0.72	1.08	1.80	Total

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत कोटिवार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी (लाख ₹ में)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)					Amount Sanctioned										
					General	ST	SC	Women	Total	General		ST		SC		Women		Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State	
6.8	Live fish vending Centres	20.00	Nos.	Sahebganj	1	0	0	0	1	4.80	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	3.20	4.80	3.20
				Garhwa	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.80	7.20	4.80
				Latehar	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.80	7.20	4.80
				Giridih	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.80	7.20	4.80
				Dumka	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.80	7.20	4.80
				Bokaro	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.80	7.20	4.80
				Chatra	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.80	7.20	4.80
Total	1	0	0	6	7	4.80	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.20	28.80	48.00	32.00			
6.9	Fish Feed Mills																			
6.9.1	Mini Mills of Production capacity of 2 ton/day	30.00	Nos.	Sahebganj	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	7.20	10.80	7.20	
				Gumla	0	1	0	1	2	0.00	0.00	10.80	7.20	0.00	0.00	10.80	7.20	21.60	14.40	
				Simdega	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	7.20	10.80	7.20	
				Chatra	1	0	1	1	3	7.20	4.80	0.00	0.00	10.80	7.20	10.80	7.20	28.80	19.20	
				Pakur	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	7.20	10.80	7.20	
				Palamu	0	1	0	1	2	0.00	0.00	10.80	7.20	0.00	0.00	10.80	7.20	21.60	14.40	
				Koderma	0	0	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	7.20	0.00	0.00	10.80	7.20	
				Seraikela	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	7.20	10.80	7.20	
Total	1	2	2	7	12	7.20	4.80	21.60	14.40	21.60	14.40	21.60	14.40	75.60	50.40	126.00	84.00			
6.9.3	Large mills of production capacity of 20 ton/day	200.00	Nos.	Ranchi *	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.18	44.78	67.18	44.78	
				Total	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.18	44.78	67.18	44.78	
7	Markets and Marketing Infrastructure																			
7.2	Construction of fish kiosks	10.00	Nos.	Dumka	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	2.40	3.60	2.40	
				Gumla	0	2	0	1	3	0.00	0.00	7.20	4.80	0.00	0.00	3.60	2.40	10.80	7.20	
				Deoghhar	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	2.40	3.60	2.40	
				Chatra	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	2.40	3.60	2.40	
				Total	0	2	0	4	6	0.00	0.00	7.20	4.80	0.00	0.00	14.40	9.60	21.60	14.40	
9	Aquatic health management																			
9.1	Establishment of Disease diagnose and quality testing labs	25.00	Nos.	Giridih	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00	
				Total	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	6.00	9.00	6.00	
11	Strengthening of Safety and Security fishermen																			
11.2.2	Providing boats (replacement and nets for traditional fishermen)	0.50	Nos.	Koderma	9	1	9	8	27	1.08	0.72	0.18	0.12	1.62	1.08	1.44	0.96	4.32	2.88	
				Total	9	1	9	8	27	1.08	0.72	0.18	0.12	1.62	1.08	1.44	0.96	4.32	2.88	
11.2.2	Providing Dengi for traditional fishermen	0.80	Nos.	Koderma	2	0	5	8	15	0.384	0.256	0.000	0.000	1.440	0.960	2.304	1.536	4.128	2.752	
				Total	2	0	5	8	15	0.384	0.256	0.000	0.000	1.440	0.960	2.304	1.536	4.128	2.752	
Total :					196	279	195	436	1106	158.81	105.872	526.68	351.12	319.45	212.964	1624.70	1083.128	2629.636	1753.084	

* नोट - राँची जिला हेतु महिला कोटि में स्वीकृत Large mills of production capacity of 20 ton/day के लिए इकाई लागत मो 200.00 लाख ₹ मात्र के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा मो 186.60 लाख ₹ मात्र की ही परियोजना स्वीकृत की गई है।

** S.No. is mentioned as per PMMSY guidelines issued by GoI.

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।)

3 min
2/2/24

(अबुबकर सिद्धीख पी०)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत द्वितीय चरण में लाभकजनित योजनाओं के लिए कोटिवार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी (लाख रु० में)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)					Amount Sanctioned									
					General	ST	SC	Women	Total	General		ST		SC		Women		Total	
					6	7	8	9	10	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State
5	Technology Infusion and Adaptation																		
5.5	Installation of cages in Reservoir	3.00	Nos.	Gumla	0	20	0	0	20	0.00	0.00	21.60	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	14.40
				Saraikeela	10	44	48	98	200	7.20	4.80	47.52	31.68	51.84	34.56	105.84	70.56	212.40	141.60
				Ranchi	0	44	40	8	92	0.00	0.00	47.52	31.68	43.20	28.80	8.64	5.76	99.36	66.24
				Hazaribagh	0	20	36	32	88	0.00	0.00	21.60	14.40	38.88	25.92	34.56	23.04	95.04	63.36
				Dumka	0	30	0	0	30	0.00	0.00	32.40	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	21.60
				Jamtara	0	0	0	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	8.64	12.96	8.64
				Koderma	0	0	10	20	30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	7.20	21.60	14.40	32.40	21.60
				Bokaro	0	8	0	20	28	0.00	0.00	8.64	5.76	0.00	0.00	21.60	14.40	30.24	20.16
				Total	10	166	134	190	500	7.20	4.80	179.28	119.52	144.72	96.48	205.20	136.80	536.40	357.60

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।)

3/12/23
राजेश

(अबुबकर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट-3

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत द्वितीय चरण में **Non Beneficiary** योजनाओं के लिए कोटिवार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी (लाख रु० में)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Total Project Cost	Total	
						Central	State
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Technology Infusion and Adaptation						
1.1	Establishment of Brood Bank at Gidhani Government Fish Farm, Deoghar	As per actual	1	Deoghar	417.26	250.36	166.90
				Total	417.26	250.36	166.90

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।)


 (अबुबकर सिद्दीख पी०)
 सरकार के सचिव

5/12/23 राजीव